

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2023 — श्रावण 9, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-15/2023/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सक्ती	जैजैपुर एवं नया बाराद्वार	भोथिया	<p>जैजैपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल ठठारी के पटवारी हल्का क्र. 01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 के कुल 21 ग्राम.</p> <p>जैजैपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल जैजैपुर के पटवारी हल्का क्र. 11 के कुल 04 ग्राम.</p> <p>जैजैपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल बेलादुला के पटवारी हल्का क्र. 17 एवं 18 के कुल 07 ग्राम.</p> <p>नया बाराद्वार तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल नया बाराद्वार के पटवारी हल्का क्र. 16 के कुल 04 ग्राम.</p> <p>अतः कुल 11 पटवारी हल्कों के 36 ग्राम नवीन तहसील “भोथिया” में शामिल होंगे।</p>	<p>उत्तर — तहसील— नया बाराद्वार एवं सक्ती, जिला— सक्ती</p> <p>दक्षिण — तहसील— जैजैपुर, जिला— सक्ती</p> <p>पूर्व— तहसील— अड़भार एवं मालखरौदा, जिला— सक्ती</p> <p>पश्चिम— तहसील— सारागांव, जिला— जांजगीर— चांपा</p>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st July 2023

NOTIFICATION

No. F 11-15/2023/7-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tahsil specified in column (3), creates a new Tahsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sakti	Jaijaipur and Naya Baradwar	Bhothiya	<p>Total 21 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06 and 07 of Revenue Inspector Circle Thathari of Jaijaipur tahsil.</p> <p>Total 04 villages of Patwari Halka No. 11 of Revenue Inspector Circle Jaijaipur of Jaijaipur tahsil.</p> <p>Total 07 villages of Patwari Halka No. 17 and 18 of Revenue Inspector Circle Beladula of Jaijaipur tahsil.</p> <p>Total 04 villages of Patwari Halka No. 16 of Revenue Inspector Circle Naya Baradwar of Naya Baradwar tahsil.</p> <p>Hence, 36 villages of total 11 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Bhothiya".</p>	<p>North - Tahsil- Naya Baradwar and Sakti District- Sakti</p> <p>South - Tahsil- Jaijaipur, District- Sakti</p> <p>East - Tahsil- Adbhar and Malkharouda, District- Sakti</p> <p>West - Tahsil- Saragaon, District- Janjgir-Champa.</p>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURAG PANDEY, Special Secretary.